प्रेस नोट थाना सदर जनपद आगरा

थाना सदर पुलिस टीम द्वारा हत्या में संलिप्त 01 अभियुक्ता एवं 01 अभियुक्त सहित कुल 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...

घटना का विवरण :–

दिनांक 08.06.2021 को वादी पुत्र स्व0 जयपाल सिंह नि0 टुण्डपुरा थाना सदर जनपद आगरा द्वारा थाना सदर पर तहरीर दी गयी कि मानसिंह पुत्र पप्पू नि0 उपरोक्त मेरे भाई से रंजिश मानता था। आज मानसिंह ने मेरे भाई संजय को मारा पीटा और उसकी हत्या करके सेवला वाली पोखर में फेंकने जा रहा था। इस दौरान मैंने व मेरे बहनोई द्वारा उसे देखा और पकड़ लिया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मानसिंह को गिरफ्तार किया गया एवं इस सम्बन्ध में थाना सदर पर मु0अ0सं0 259/21 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त सनसनीखेज घटना के अनावरण एवं संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एंव जनपद आगरा में कोविड–19 संक्रमण के बचाव एंव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार तथा क्षेत्र में चोरी, लूट, डकैती, अवैध शराब की तस्करी करने व परिवहन, निर्माण आदि अपराधों की पूर्ण रोकथाम एवं इनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सदर को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

पूछताछ का विवरण :–

इसी क्रमानुसार गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरा व मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। हम दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। संजय को हम दोनों पर शक हुआ और वह अपनी पत्नी को मारता पीटता और मुझसे मिलने के लिए मना करता था। संजय हम दोनों के बीच में रोड़ा बन गया था। हम दोनों उसको रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाने लगे।

इसी क्रम में दिनांक 08.06.21 को बनायी गयी योजना के अनुसार मैं संजय के पास गया और मैंने उसे शराब पिलायी। जब काफी देर शराब पीने के बाद संजय को बहुत अधिक नशा हो गया तो मैंने उसके गले में चुनरी के कपड़े का फन्दा डाला एवं चुनरी को एक तरफ से मैंने व दूसरी तरफ से मृतक की पत्नी ने खींच कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के उपरान्त शव को छिपाने के लिए शव को कट्टे में कन्धे पर रखकर पोखर में फेंकने जा रहा था। रास्ते में मेरा पैर फिसल जाने के कारण शव जमीन पर गिर गया, इसी दौरान संजय का भाई व बहनोई वहां आ गये और मुझे शव के साथ पकड़ लिया।

उपरोक्त जानकारी होने पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया एवं पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि मैं व मानसिंह प्रेम करते थे, जिसमें संजय हमारे रास्ते में रोड़ा बना हुआ था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर योजना बनाते हुए संजय की हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. मानसिंह पुत्र पप्पू नि0 टुण्डपुरा थाना सदर जनपद आगरा।
02. सुनीता उर्फ सुषमा पत्नी मृतक संजय नि0 टुण्डपुरा थाना सदर जनपद आगरा।

01. **बरामदगी का विवरण :–**

01. गले में फंदा लगाने वाला कपड़ा (आला कत्ल)।
02. मृतक का मोबाइल व आधार कार्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

01. प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कौशल मय टीम थाना सदर जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।